उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4

संख्या-88/2018/991/22-4-18-48(21)/18

लखनऊ : दिनांक- 06 अगस्त, 2018

शुद्धि-पत्र

जिला कारागार, मथुरा में अस्पताल अहाते में 05 एकल कक्ष के निर्माण एवं 09 बैरकों की छत पर एस्बेस्टस के स्थान पर आर0सी0 स्लैब डालने के कार्य हेतु जारी वित्तीय स्वीकृति के शासानादेश संख्या-73/2018/836/22-4-18-48(21)/18, दिनांक 18.07.2018 में अंकित लेखाशीर्षक-"04 कारागारों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार" के स्थान पर "03-कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार" पढ़ा जाय।

करूणेश कुमार सिंह

अनु सचिव।

संख्या-88/2018 /991(1)/22-4-18-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महानिरीक्षक कारागार, प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

(2) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(4) प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

(5) जिलाधिकारी, मथुरा।

(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(9) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in